मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कड़ेला, आर.ए.एस.

छोटे खां पुत्र जहूर खां, जाति मुसलमान, निवासी बामनवास पट्टी कलॉ, तहसील बामनवास, हाल निवासी 30, करीम कोलोनी, दिल्ली बाई पास रोड़, ईदगाह के सामने, जयपुर — वादी

बनाम

तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील कार्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर — प्रतिवादी

वाद पत्र बावत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती

राजस्व वाद संख्या 3/2020

वादी स्वयं मय अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादी की ओर से स्वयं उपस्थित । आज मुझ पीठासीन अधिकारी प्रियंका कड़ेला, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए इस वाद पत्र के पेश होने पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में 2983 रकबा 0.36 हेक्टेयर, 2996/7556 रकबा 1.14 हेक्टेयर स्थित ग्राम बामनवास पट्टी कलॉ 'ए' तहसील बामनवास में वादी का नाम छोट्या पुत्र जुहारया से छोटे खां पुत्र जहूर खां घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरुस्ती आवश्यक संशोधन करे ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:04:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 15/10/.2025 को जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(प्रियंका कडेला)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:04:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू.	तारीख फैसला
3/2020	16.1.2020	15-10-2025

छोटे खां पुत्र जहूर खां, जाति मुसलमान, नियासी बामनवास पट्टी कलॉं, तहसील बामनवास, हाल निवासी 30, करीम कोलोनी, दिल्ली बाई पास रोड, ईदगाह के सामने, जयपुर वादी

बनाम

तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील कार्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर प्रतिवादी

वाद पत्र बावत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय दिनांक: 15-10-2025

इस निर्णय द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादी द्वारा कथन किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 2983 रकवा 0.36 हेक्टेयर, 2996/7556 रकवा 1.14 हेक्टेयर स्थित ग्राम बामनवास पट्टी कलॉं 'ए' तहसील बामनवास का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। वर्तमान जमाबंदी में वादी का नाम छोट्या पुत्र जुहाऱ्या हो रहा है। वादी का सही नाम छोटे खां पुत्र जहूर खां होना चाहिए, ताकि भविष्य में नाम व [illegible] के सम्बन्ध में कोई विवाद या परेशानी नहीं [illegible] वादी का नाम छोटे खां पुत्र जहूर खां ही दर्ज है। [illegible]3 में उक्त भूमि वादी को नियमन होकर आवंटित हुई है, जो छोटे खां पुत्र जहूर खां के

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:04:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with OKEN Scanner

नाम से हुई है, जिसका नामान्तकरण भी इसी नाम से खुला है । जमाबंदी संवत् 2028–31 में खसरा नम्बर 1331/2 रकवा 6 बीघा एवं 1324/2 रकवा 1 बीघा छोटे खां पुत्र जहूर खां के नाम दर्ज है । इसके पश्चात् सैटिलमैण्ट की कार्यवाही के दौरान जमाबंदी संवत् 2038 में वादी का नाम छोटा पुत्र जुहारया दर्ज कर दिया, यानि जहूर खां को जुहारया कर दिया । चौसाला जमाबंदी के दौरान वादी का नाम छोट्या पुत्र जुहारया कर दिया । उक्त सभी गलती बोलता नाम व रिकॉर्ड के नाम के सम्बन्ध में गलत फहमीवश हुई है । दिनांक 14.10.2019 को वादी ने अपनी उक्त भूमि को विकय करना चाहा, परन्तु जमाबंदी में दर्शित नाम व हाल दस्तावेजों में दर्शित नाम में भिन्नता के कारण विकय के पंजीयन करने से उप पंजीयक बामनवास ने पंजीयन करने से मना कर दिया । ऐसी स्थिति में वादी को दुरुस्ती हेतु यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ .... आदि कथन करते हुए अपना वाद पत्र को डिक्री किया जाने का निवेदन किया है ।

प्रतिवादी को उक्त आशय के दावे का सम्मन प्रेषित किया गया, प्रतिवादी की ओर से वादी के कथनों का समर्थन करते हुए जवाब पेश किया गया । [illegible] व जवाब में वर्णित अभिवचनों के आधार पर [illegible] गई तथा वादी को अपनी ओर से साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिया गया, जिसमें वादी ने साक्ष्य में अपने आपको पी.ड. 1 के रूप में परीक्षित

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:04:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with OKEN Scanner

करवाया तथा 9 किता दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये तथा अपनी ओर से साक्ष्य बंद की गई ।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पत्रावली वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी में होने प्रमाणित हैं तथा प्रदर्श 9 नियमन आदेश को देखने से भी यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादी को छोटे खां पुत्र जहूर खां के नाम से नियमन हुआ है । तत्पश्चात् सैटिलमैण्ट के दौरान उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर कायम किए जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में छोट्या पुत्र जुहारया, जाति मुसलमान अंकित कर दिया, जबकि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजात व वादी की ओर से प्रदर्शांकित करवाये गये दस्तावेजात् को देखने से यह स्पष्ट है कि वादी को जिस भूमि का नियमन हुआ है, उसमें वादी का नाम छोट्या पुत्र जहूर खां अंकित है । वादी द्वारा प्रस्तुत अपने पहचान सम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा राशन कार्ड में वादी का नाम छोटे खां पुत्र जहूर खां अंकित है । वादी राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी में दर्ज छोट्या पुत्र जुहारया के स्थान पर छोटे खां पुत्र जहूर खां करवाना चाहता है, ऐसे में वादी का वाद [illegible] जाता है । प्रतिवादी की ओर से वादी [illegible] तरह नहीं की गई, इसलिए उसकी साक्ष्य [illegible] रही है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा दावे में किए गए कथनों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:04:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with OKEN Scanner

अविश्वास किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता । संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है ।

आदेश

वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में 2983 रकवा 0.36 हेक्टेयर, 2996/7556 रकवा 1.14 हेक्टेयर स्थित ग्राम बामनवास पट्टी कलॉ 'ए' तहसील बामनवास में वादी का नाम छोट्या पुत्र जुहारया से छोटे खां पुत्र जहूर खां घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरुस्ती हेतु आवश्यक संशोधन करे । डिक्री तदनुसार तैयार की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(प्रियंका कडेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 15-10-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(प्रियंका कडेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:04:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner